न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 34/2017

श्री सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1- श्री दिपेश जैन पुत्र श्री यशवंत जैन मेसर्स पद्मावती फार्मा, दूकान नं. बी–7 व बी–8, डी.सी.एम. मार्केट, हाई स्कूल रोड़, प्रतापगढ़
2- श्री आनन्द जैन पुत्र श्री उमेश चन्द्र जैन मेसर्स जैन ग्रुप, दूकान नं. 6,7,110, तिसरी मंजिल,दवा बाजार, 13–14 आरएनटी मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)
3- मेसर्स जैन ग्रुप, दूकान नं. 6,7,110, तिसरी मंजिल,दवा बाजार, 13–14 आरएनटी मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)
4- श्री आनन्द शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा M/s Anachem Labs, 8-B, Scheme No.51, Commercial Sector, Indore (M.P.)
5- M/s Anachem Labs, 8-B, Scheme No. 51, Commercial Sector, Indore (M.P.)

– अप्रार्थीगण

:–आदेश–:

दिनांक 06/11/2019

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीयान ने मिसब्राण्डेड Nutritional Food Supplement (Proprietary Food) (Lycojan Brand) के विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़

की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र , फर्म पंजीयन के सम्बन्ध में वाणिज्य कर अधिकारी को प्रेषित एवं प्राप्त पत्र , फर्म के सम्बन्ध में वार्षिक रिटर्न मय ट्रेडिंग अकाउण्ट/ ऑडिट रिपोर्ट की सूचना चाहने बाबत वाणिज्य कर अधिकारी को प्रेषित एवं प्राप्त पत्र। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं शपथ पत्र , तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.10.2016 को दौराने गश्त 3.35 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मै0 पद्मावती फार्मा दूकान नं. बी–7 एव बी–8, डीसीएम मार्केट, हाई स्कूल रोड़ प्रतापगढ़ पहुंचा, अपना परिचय दिया तथा उनका परिचय लिया। उस समय दूकान पर श्री दिपेश जैन पुत्र श्री यशवंत जैन उपस्थित थे। विक्रेता से पुछने पर उक्त संस्थान का का मालिक स्वयं को होना बताया व हाल निवासी डाबडा प्लाजा, सदर बाजार, प्रतापगढ़ तथा स्थाई निवासी दलौदा चौपाटी, मन्दसौर बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञापत्र नही होना जाहिर किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया जहां पर Nutritional Food Supplement (Proprietary Food) (Lycojan Brand) के 225–225 एमएल वाली 45 प्लास्टिक बोतल एक लोहे की रैक में पैकेट मूल ही सिल्ड अवस्था में आमजनता को बिक्री वास्ते रखे हुए थे तथा प्रत्येक बोतल पर 225 M, Batch No. 1645, Mfg date 08/2016 best before 18 month from the date of Mfd, MRP Rs. 180/-, MFd By Anachem Labs, 8-B Scheme No. 51, commercial sector, indore, FSSAI Licence No. 21416850001370, UTG by Jain Group pharmaceuticals, 9/B, parsa marg, Gandhi nagar-453112, FSSAI Lic. No. 21416850001759, Green symbol veg present ingredients given nut, information present आदि अंकित था। मिसब्राण्ड, सबस्टेण्डर्ड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रूबरू गवाह के सामने नमूना जॉच वास्ते हेतु लेने की सूचना मालिक को प्रपत्र 5 ए भरकर नियमानुसार मौके पर दी एवं रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया गया था कि Nutritional Food Supplement (Proprietary Food) (Lycojan Brand) का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जॉच हेतु लिया जा रहा है। प्रपत्र 5 ए की असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर विक्रेता ने Nutritional Food Supplement (Proprietary Food) (Lycojan Brand) को मेसर्स Jain Group, pharmaceuticals Distributors, Shop No. 6,7,110

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

AAArd Floor, Dawa Bazar, 13-14 RNT Marg, Indore से खरीदने का वेट इनवोईस/बिल नं. CRED000723 दिनांक 03.09.16 को प्रस्तुत किया जिसकी प्रमाणित प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर गवाहो एवं मालिक की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ Nutritional Food Supplement (Proprietary Food) (Lycojan Brand) के 225–225 एमएल वाली 12 बोतल वास्ते नमूना जॉच हेतु मालिक से खरीदे जिसकी किमत विक्रेता को 443 रू नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद की मूल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा बोतलों को चार जगह बराबर–बराबर बांटकर दो–दो पैकेटो का तीन–तीन बोतलों को चार जगह अलग–अलग हिस्से में बांधा गया। उक्त खरीदशुदा बोतलों के लिये विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कोड व सीरियल नम्बर वाई–777 लिखकर अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर मालिक विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी लेबल पर हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेटो के हिस्सो पर गोदं से चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेटो के हिस्सो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक वई 777 गोंद से गोलाई में चिपकाई ,धागे से बांध कर सिल चपड़ी से सीलबन्द मोहर किया गया । प्रत्येक सीलबंद नमूना डिब्बों के कागज पर नमूने का विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी व गवाहान ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता मालिक ने पेपर स्लिप व खाकी कागज क्रॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे मालिक व गवाहान को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया ,जिन्होने पढ़, सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सिल किया था जिसका निशान मौके पर मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त समस्त कार्यवाही मालिक व गवाहान की उपस्थिति में की गई ।

कार्यालय में पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल की थी। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्री माजीद अली च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ़ के द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 19.09.2016 को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 19.09.2016 को जमा करा कर रसीद प्राप्त की तथा दो सीलबन्द नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 19.09.2016 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि मेसर्स जैन ग्रुप, इन्दौर को फार्म नं. 5 ए की छायाप्रति एवं वेट इनवोईस की छायाप्रति भिजवाने बाबत् एवं फर्म से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु रजिस्टर्ड पत्र लिखा गया जिसके प्रतिउत्तर में मेसर्स जैन ग्रुप ने फूड सप्लीमेंट का सेम्पल विश्लेषण के उद्देश्य से लेने व राजकीय विश्लेषण के लिये भेजने बाबत् तथा Nutritional Food Supplement (Proprietary Food) (Lycojan Brand) मेसर्स पद्मावती फार्मा, प्रतापगढ़ को सप्लाई करने बाबत् व शेष चाही गई सूचनायें बताई गई है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया Nutritional Food Supplement (Proprietary Food) (Lycojan Brand) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) के अन्तर्गत misbranded तथा धारा 3(1)(zx) के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा उपरोक्त समस्त अप्राथीगणों को खाद्य विश्लेषक उदयपुर की जॉच रिपोर्ट के विरूद्व अपील हेतु अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजे गये ।

यह कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक की जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति मेसर्स जैन ग्रुप, इन्दौर को अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना हेतु पत्र प्रेषित किया जिसकी प्रति आवेदक को भी दी गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। जैन ग्रुप इन्दौर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Nutritional Food Supplement (Proprietary Food) (Lycojan Brand) को अनाकेम लैब, इन्दौर से खरीदने

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

का बिल/वेट इनवोइस की छायाप्रति व रिपोर्ट आफ टॉमेटो की छायाप्रति प्रेषित की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मेसर्स जैन ग्रुप इन्दौर व अनाकेम लेब, इन्दौर को फर्म से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् कई पत्र प्रेषित किये गये जिसका कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुये। इस हेतु अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रषासन इन्दौर को फर्म की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसके प्रतिउत्तर में औषधि प्रषासन द्वारा मेसर्स जैन ग्रुप फार्मा, इन्दौर का खाद्य विक्रय रजिस्ट्रेषन प्रमाण पत्र व पुस्त भाग पर फार्म ए तथा इस फर्म के लिये अनुज्ञप्ति की शर्तो के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/नोमिनी/डायरेक्टर्स श्री आनन्द जैन के ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति तथा मेसर्स एनाकेम लेब इन्दौर का खाद्य विक्रय रजिस्ट्रेषन प्रमाण पत्र व पुस्त भाग पर फार्म ए व इस फर्म के लिए अनुज्ञप्ति की शर्तो के लिए जिम्मेदार श्री आनन्द शर्मा की पेन कार्ड की छायाप्रति प्रेषित की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मेसर्स एनाकेम लेब इन्दौर को फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग इन्दौर ने अपने पत्र में बताया कि मेसर्स एनाकेम लेब के व्यवसायी का नाम आनन्द शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा निवासी 122, नीलकण्ठ कॉलोनी, इन्दौर है।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी क्रमांक 1 ने अपने जवाब में बताया कि उक्त खाद्य पदार्थ उसने मेसर्स जैन ग्रुप , इन्दौर से क्रय किया था जिसका बिल अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी क्रमांक 2 व 3 ने अपने जवाब में बताया कि उक्त खाद्य पदार्थ मेसर्स एनाकेम लेब, इन्दौर से क्रय होना बताया जिसका वैट इनवोईस अपने जवाब के साथ प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण 4 व 5 ने अपने जवाब में बताया कि उनके द्वारा Nutritional Food Supplement (Proprietary Food)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

(Lycojan Brand) का निर्माण किया जाता है तथा उक्त सप्लीमेंट में सभी आवश्यक तत्व निहित किये जाते है तथा इसमें जो तत्व पाये जाते है उन्हीं तत्वों को बोतल के लेबलों पर दर्ज किया जाता है। खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि उक न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट लाइकोजन ब्राण्ड के बोतल पर जो लेबलिंग की गई है उसमें टोमेटो को प्रिन्ट किया गया है इस कारण उक्त पदार्थ मिसब्राण्ड है, जबक वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ की बोतल पर जो लेबल लगाया गया है उसमें टोमेटो को अतिरिक्त सूचना के हिसाब से दर्ज किया गया है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेवलिंग की गई है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगणों के विरूद्व चल रही प्रकरण की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया जिससे ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी अभियुक्तों ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त के यहां दिनांक 16.09.2016 को उपलब्ध कुल माल 45 बोतल प्रत्येक बोतल की कीमत 37 रू के हिसाब से कुल माल की कीमत 45x37= 1665 रू की 10 गुना शास्ति अर्थात 1665x10=16650 रू अप्रार्थी अभियुक्त श्री आनन्द शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा, मेसर्स Anachem Labs, 8-B, Scheme No. 51, Commercial Sector Indore (M.P) पर आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 06.11.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2019/190-92 दिनांक 06.11.2019

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री आनन्द शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा, मेसर्स Anachem Labs, 8-B, Scheme No. 51, Commercial Sector Indore (M.P)

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़